



**2018-19**  
के संबंध में  
केन्द्रीय सरकार के व्यय  
के लिए  
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें

**DEMANDS FOR EXCESS GRANTS**  
*for*  
**EXPENDITURE OF THE CENTRAL GOVERNMENT**

**RELATING TO**

**2018-19**

संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1)(ख) के अनुसरण में लोकसभा में प्रस्तुत  
**Presented to the Lok Sabha in pursuance of clause (1) (b) of Article 115 of the Constitution**

[राष्ट्रपति की सिफारिश, जो मांगों को प्रस्तुत करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 115  
के खण्ड (1)(ख) और (2) के साथ पठित अनुच्छेद 113 के खण्ड (3) के  
अधीन आवश्यक है, प्राप्त कर ली गई है]

**[The recommendation of the President, required under clause (3) of Article 113 read  
with clauses (1)(b) and (2) of Article 115 of the Constitution for making the  
Demands has been obtained]**

मार्च/March, 2022



**प्रस्तावना टिप्पणी**

इस खण्ड में शामिल अतिरिक्त अनुदान की मांगें 2018-19 के दौरान कतिपय मांगों के अंतर्गत किए गए वास्तविक व्यय दर्शाती हैं, जो उस वर्ष के लिए संसद द्वारा दी गई राशि के अतिरिक्त हैं।

2. 2018-2019 के दौरान 2 अनुदानों और 2 विनियोगों में कुल ₹ 5204,57,35,163 का अतिरिक्त व्यय हुआ।

3. संबंधित मांगों/विनियोग में अतिरिक्त व्यय होने के कारणों को इस पुस्तिका में अतिरिक्त मांग के विवरण में दिए गए हैं।

4. उपर्युक्त अधिक व्यय की जांच लोक लेखा समिति द्वारा की गई है, जिन्होंने ब्यालिसीवी रिपोर्ट (सत्रहवीं लोक सभा) के भाग-II के पैराग्राफ 9 के तहत भारत के संविधान के अनुच्छेद 115(1) (ख) के अधीन नियमित करने की सिफारिश की है।

**INTRODUCTORY NOTES**

The Demands for Excess Grants contained in this Volume represent the actual expenditure incurred during 2018-19 under certain Demands which are in excess of the amounts granted by the Parliament for that year.

2. The excess expenditure during 2018-19 occurred in 2 Grants and 2 Appropriations amounting to a total of ₹ 5204,57,35,163.

3. The reasons for excess expenditure in respective Demands/Appropriation have been explained in the Excess Demand Statements contained in this booklet.

4. The above excess expenditure have been scrutinised by the Public Accounts Committee, who, vide paragraph 9 of Part-II of Forty-second (Seventeenth Lok Sabha), have recommended their regularisation under Article 115(1) (b) of the Constitution of India.



वर्ष 2018-2019 के दौरान संसद द्वारा स्वीकृत अनुदानों/विनियोगों से हुए अतिरिक्त व्यय को दर्शाने वाला विवरण  
Statement showing the expenditure incurred in excess of the Grants Voted/Appropriations  
made by Parliament during 2018-2019

संख्या और अनुदान शीर्षक	No. & Title of Demand	अंतिम अनुदान/विनियोग Final Grant/Appropriation ₹	वास्तविक व्यय Actual Expenditure ₹	अतिरिक्त व्यय Excess Expenditure ₹	पृष्ठों का संदर्भ Ref. to pages
I. राजस्व से पूरा किया गया व्यय	I. EXPENDITURE MET FROM REVENUE				
20 रक्षा सेवाएं	स्वीकृत 20 Defence Services Voted	207822,31,60,000	211663,64,11,641	3841,32,51,641	1
56 आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय जोड़ राजस्व	भारित 56 Ministry of Housing and Urban Affairs Charged	92,22,00,000	92,44,43,039	22,43,039	3
	<b>TOTAL - Revenue</b>	<b>207914,53,60,000</b>	<b>211756,08,54,680</b>	<b>3841,54,94,680</b>	
	भारित	Charged	92,22,00,000	92,44,43,039	22,43,039
	स्वीकृत	Voted	207822,31,60,000	211663,64,11,641	3841,32,51,641
पूंजी से पूरा किया गया व्यय	EXPENDITURE MET FROM CAPITAL				
21 रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत 21 Capital outlay on Defence Services Voted	93897,78,48,000	95155,07,36,482	1257,28,88,482	2
80 रेल मंत्रालय जोड़ पूंजी	भारित 80 Ministry of Railways Charged	359,11,00,000	464,84,52,001	105,73,52,001	4
	<b>TOTAL Capital</b>	<b>94256,89,48,000</b>	<b>95619,91,88,483</b>	<b>1363,02,40,483</b>	
	भारित	Charged	359,11,00,000	464,84,52,001	105,73,52,001
	स्वीकृत	Voted	93897,78,48,000	95155,07,36,482	1257,28,88,482
<b>कुल जोड़</b>	<b>GRAND TOTAL</b>	<b>302171,43,08,000</b>	<b>307376,00,43,163</b>	<b>5204,57,35,163</b>	
	भारित	Charged	451,33,00,000	557,28,95,040	105,95,95,040
	स्वीकृत	Voted	301720,10,08,000	306818,71,48,123	5098,61,40,123



## मांग संख्या DEMAND NO. 20

## रक्षा सेवाएं

## DEFENCE SERVICES

रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत रक्षा सेवाएं के संबंध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए अनुदान से अधिक व्यय की गई राशि।

Amount expended in excess of the Grant for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2019, in respect of the **DEFENCE SERVICES** under **MINISTRY OF DEFENCE**.

स्वीकृत (राजस्व): तीन हजार आठ सौ इकतालीस करोड़ बत्तीस लाख इक्यावन हजार छह सौ इकतालीस रुपये।

Voted (Revenue): Three thousand eight hundred forty one crore thirty-two lakh fifty-one thousand six hundred forty-one Rupees.

भाग Section	अन्तिम अनुदान/ Final Grant ₹	वास्तविक व्यय/ Actual Expenditure ₹	अतिरिक्त व्यय/ Expenditure ₹
राजस्व Revenue			
स्वीकृत Voted	207822,31,60,000	211663,64,11,641	3841,32,51,641

₹ 205018,34,60,000 के मूल विनियोग में मार्च, 2019 में प्राप्त ₹ 2803,97,00,000 के अनुपूरक विनियोग की वृद्धि की गई। ₹ 207822,31,60,000 के अंतिम विनियोग की तुलना में ₹ 211663,64,11,641 वास्तविक व्यय हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3841,32,51,641 का अतिरिक्त व्यय हुआ जिसका नियमितीकरण अपेक्षित है। अतिरिक्त व्यय निम्न के कारण हुआ: वेतन के भुगतान में वृद्धि; अभिवृद्ध पात्रताओं/महंगाई भत्ते के कारण, प्रचालन आवश्यकताओं को पूरा करने; राशन, ईंधन, तेल और स्नेहक उत्पादों की कीमतों में वृद्धि; चिकित्सा उपकरण; चिकित्सा भंडार; हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड को भुगतान हेतु आकस्मिक आवश्यकता; जहाजों, पनडुब्बियों, विमानों और अन्य उपकरण की आवश्यक मरम्मत की लागत और दायरे में वृद्धि; महत्वपूर्ण गोला-बारूद और भंडार की खरीद; आयातित भंडारों पर वैधानिक सीमा शुल्क; 10(i) प्रापण; विनिमय दर भिन्नता; आउटसोर्सिंग, प्रशिक्षण और खेल गतिविधियों के लिए बढ़ी हुई आवश्यकता पर व्यय; विमान का रखरखाव; लक्षित भुगतानों की शीघ्र पूर्ति और आकस्मिक प्रापण मामलों को शामिल करना; प्रचालन आवश्यकता के दौरान उड़ान प्रयास में वृद्धि; हवाई और जमीनी हथियारों की पुनःपूर्ति/ खरीद; अतिरिक्त कपड़ों की खरीद; बिजली और पानी के शुल्क पर व्यय में वृद्धि, भवनों की मरम्मत और रखरखाव तथा किराए दरों और कर खंडों आदि के भुगतान।

The Original Appropriation of ₹ 205018,34,60,000 was augmented by a Supplementary Appropriation of ₹ 2803,97,00,000 obtained in March, 2019. Against the Final Appropriation of ₹ 207822,31,60,000 the actual expenditure was ₹ 211663,64,11,641 resulting in an excess expenditure of ₹ 3841,32,51,641 which requires regularisation. The excess was incurred due to: increase in payment of Salaries, due to Enhanced Entitlements/ Dearness Allowance; to meet operational requirements; hike in prices of Ration, Fuel, Oil and Lubricants products; Medical Equipment; Medical Store; emergent requirement for payments to Hindustan Aeronautical Limited; increase in the cost and scope of essential repair of ships, submarines, aircraft and other equipment; procurement of critical ammunition and stores; statutory Customs Duties on imported stores; outgo towards 10(i) procurement; exchange rate variations; enhanced requirement for outsourcing, training & sports activities; maintenance of aircraft; early achievement of Milestone payments and inclusion of emergent procurement cases; increased flying effort during Operations requirement; Replenishment/procurement of airborne and ground weapon armaments; Procurement of additional clothing; increased expenditure on electricity and water tariff, repair and upkeep of buildings and payment of rents, rates and taxes segments etc.

## मांग संख्या DEMAND NO. 21

## रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

## CAPITAL OUTLAY ON DEFENCE SERVICES

रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय के संबंध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए अनुदान से अधिक व्यय की गई राशि।

Amount expended in excess of the Grant for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2019, in respect of the **CAPITAL OUTLAY ON DEFENCE SERVICES** under **MINISTRY OF DEFENCE**.

स्वीकृत (पूंजी): एक हजार दो सौ सत्तावन करोड़ अट्ठाईस लाख अट्ठासी हजार चार सौ बयासी रुपये।

Voted (Capital): One thousand Two hundred fifty-Seven crore twenty-eight lakh eighty-eight thousand four hundred eighty-two rupees.

भाग Section	अन्तिम अनुदान/ Final Grant ₹	वास्तविक व्यय/ Actual Expenditure ₹	अतिरिक्त व्यय/ Expenditure ₹
स्वीकृत Voted	93897,78,48,000	95155,07,36,482	1257,28,88,482

₹ 93897,78,48,000 के अंतिम अनुदान के प्रति वास्तविक व्यय ₹95155,07,36,482 था जिसके परिणामस्वरूप ₹1257,28,88,482 का अधिक व्यय हुआ जिसके नियमितीकरण की आवश्यकता है। अतिरिक्त व्यय निम्न के कारण हुआ: प्रतिबद्ध देयताओं और नियोजित नई योजनाओं के लिए भुगतान जारी करना, चूंकि बजट अनुमान चरण में किया गया आवंटन अपर्याप्त था; उन्नत लाइट हेलीकॉप्टर (एएलएच) और रखरखाव रिजर्व और हानि की पूर्ति करने के लिए प्रतिभूति अनुमोदित संविदा पर मंत्रिमंडल समिति को अतिरिक्त भुगतान (एमआरएसओडब्ल्यू); रूसी मूल उपकरण विनिर्माता (ओईएम) को भुगतान हेतु तौर-तरीकों को अंतिम रूप देने के बाद रूस को टी-90 टैंकों के घटक स्तर की मरम्मत का भुगतान; रोहतांग सुरंग और सीएसजी सड़कों की प्रगति; वाहन खरीद मामलों की प्रत्याशित तीव्रतर प्रगति; मुख्यालय अंडमान और निकोबार कमान के वार्षिक रखरखाव कार्य योजना और कम बजट कार्यों (एलवीडब्ल्यू) के तहत देनदारियों को संभालना; राष्ट्रीय युद्ध संग्रहालय और स्मारक (एनडब्ल्यूएमएंडएम); नए जहाज निर्माण अनुबंधों के लिए अनिवार्य संविदात्मक भुगतान; रणनीतिक बुनियादी ढांचा परियोजनाएं; विदेशी विक्रेताओं को अनिवार्य संविदात्मक भुगतान जिसके लिए बैंकों के साथ साख पत्र पहले ही खोला जा चुका है; विनिमय दर भिन्नता; सीमा शुल्क; निर्धारित समय के भीतर विशेष परियोजनाओं के निष्पादन और संविदात्मक दायित्वों का पालन करने के लिए (माननीय पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय द्वारा मॉनिटर किए गए वायु सेना स्टेशन चंडीगढ़ में रनवे परियोजनाएं) आदि।

Against the final grant of ₹ 93897,78,48,000 the actual expenditure was ₹ 95155,07,36,482 resulting in an excess expenditure of ₹ 1257,28,88,482 which requires regularisation. The excess expenditure was incurred due to: release of payment for Committed Liabilities and Planned New Schemes, as allocation made at Budget Estimates stage was insufficient; additional payment of Cabinet committee on Securities approved contract to Advanced Light Helicopter (ALH) & Maintenance Reserve & Strike Off Wastage (MRSOW); payment of Component Level Repair for T-90 tanks to Russia subsequent to finalization of modalities for payment to Russian Original Equipment Manufacturer (OEM); progress of Rohtang Tunnel and CSG Roads; faster than anticipated progress of vehicle procurement cases; carry over liabilities under Annual Maintenance Work Plan and Low Budget Works (LBW) of HQ Andaman & Nicobar Command; National War Museum & Memorial (NWM&M); obligatory contractual payments for new shipbuilding contracts; strategic infrastructure projects; obligatory contractual payments to Foreign Vendors for which Letter of Credit was already opened with the Banks; Exchange Rate Variation; Custom duty; urgency of execution of Special Projects within stipulated time and to abide Contractual Obligations (Runway projects at Air Force Station Chandigarh monitored by Hon'ble High Court of Punjab and Haryana) etc.



मांग संख्या DEMAND NO. 56  
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

**MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS**

वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के संबंध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए अनुदान से अधिक व्यय की गई राशि।

Amount expended in excess of the Grant for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2019, in respect of the **MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS** under **MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS**.

भारित (राजस्व): बाईस लाख तैंतालीस हजार उन्नचालीस रुपये ।

Charged (Revenue): Twenty-two lakh forty-three thousand thirty-nine rupees.

भाग Section	अन्तिम अनुदान/ Final Grant ₹	वास्तविक व्यय/ Actual Expenditure ₹	अतिरिक्त व्यय/ Expenditure ₹
राजस्व Revenue			
भारित Charged	92,22,00,000	92,44,43,039	22,43,039

₹ 88,22,00,000 के मूल विनियोग में मार्च, 2019 में प्राप्त ₹ 4,00,00,000 के अनुपूरक विनियोग की वृद्धि की गई। ₹ 92,22,00,000 के अंतिम विनियोग की तुलना में ₹ 92,44,43,039 का वास्तविक व्यय हुआ था जो ₹ 22,43,039 का अतिरिक्त व्यय है जिसे नियमित करना अपेक्षित है। अतिरिक्त ब्याज भुगतान से बचने के लिए मध्यस्थता पंचाट के भुगतान के कारण अतिरिक्त व्यय हुआ।

The Original Appropriation of ₹ 88,22,00,000 was augmented by a Supplementary Appropriation of ₹ 4,00,00,000 obtained in March, 2019. Against the Final Appropriation of ₹ 92,22,00,000 the actual expenditure was ₹ 92,44,43,039 resulting in an excess expenditure of ₹ 22,43,039 which requires regularisation. The excess was incurred due to payment of Arbitration Award to avoid excess interest payment.

मांग संख्या DEMAND NO. 80

रेल मंत्रालय

## MINISTRY OF RAILWAYS

रेल मंत्रालय के अंतर्गत रेल मंत्रालय के संबंध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए अनुदान से अधिक व्यय की गई राशि।

Amount expended in excess of the Grant for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2019, in respect of the **MINISTRY OF RAILWAYS** under **MINISTRY OF RAILWAYS**.

भारित (पूंजी): एक सौ पांच करोड़ तिहत्तर लाख बावन हजार एक रुपये।

Charged (Capital): One hundred five crore seventy-three lakh fifty-two thousand one rupees.

भाग Section	अन्तिम अनुदान/ Final Grant ₹	वास्तविक व्यय/ Actual Expenditure ₹	अतिरिक्त व्यय/ Expenditure ₹
पूंजी Capital			
भारित Charged	359,11,00,000	464,84,52,001	105,73,52,001

₹ 167,46,00,000 के मूल विनियोग में मार्च, 2019 में प्राप्त ₹ 191,65,00,000 के अनुपूरक विनियोग की वृद्धि की गई। ₹ 359,11,00,000 के अंतिम विनियोग की तुलना में ₹ 464,84,52,001 का वास्तविक व्यय हुआ जो ₹ 105,73,52,001 का अतिरिक्त व्यय है जिसे नियमित करना अपेक्षित है। न्यायिक निर्णयों की पूर्ति के तहत भुगतान के लिए बजट अनुमान स्तर पर ₹ 167.46 करोड़ भारित विनियोग प्राप्त होने के कारण अतिरिक्त व्यय हुआ। ₹ 191.65 करोड़ का अनुपूरक भारित विनियोग न्यायिक निर्णयों के भुगतान के लिए स्वीकृत किया गया था जिसका पूर्वानुमान नहीं था। अनुपूरक विनियोग स्तर पर न्यायिक निर्णयों की की गई पूर्ति के लिए वास्तविक भुगतान में किए गए प्रावधान की तुलना में ₹ 105.73 करोड़ की वृद्धि की गई।

The Original Appropriation of ₹ 167,46,00,000 was augmented by a Supplementary Appropriation of ₹ 191,65,00,000 obtained in March, 2019. Against the Final Appropriation of ₹ 359,11,00,000 the actual expenditure was ₹ 464,84,52,001 resulting in an excess expenditure of ₹ 105,73,52,001 which requires regularisation. The excess was incurred due to Charged Appropriation of ₹ 167.46 crore was obtained at the Budget Estimate Stage for payment towards satisfaction of court decrees. A supplementary Charged Appropriation of ₹ 191.65 crore was sanctioned for decretal payments not anticipated earlier. The actual payments exceeded the provision by ₹ 105.73 crore to satisfy court decrees made after supplementary stage.

